## 11.02.17

प्रकरण वृहद लोक अदालत में पेश। राज्य द्वारा एडीपीओ। आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव।

प्रकरण में मध्यस्थता स्पिर्ट सेटलमेन्ट डीड के साथ प्राप्त जिसके अनुसार मध्ययस्थता सफल रही 시

प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आरोपीगण के विरुद्ध धारा 294, 323 / 34, 506 भाग दो भा.द.स. के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार किया गया हैं जो न्यायालय की अनुमति उपरांत राजीनामा योग्य है। फरियादी रामशरण ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। आवेदक राजीनामा करने हेतु सक्षम है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार करते हुए उन्हें राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है और राजीनामा के आधार पर आरोपीगण को भा.द.स. की धारा 294, 323 / 34, 506 भाग दो भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है। आदेश की प्रति आरोपीगण को निःशुल्क प्रदान की जाये। प्रकरण का परिणाम अंकित कर अभिलेखागार भेजा जाये।

> (गोपेश गर्ग) अध्यक्ष एवं जे.एम.एफ.सी., खण्डपीट कमांक 18, गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

श्री उदलसिंह गुर्जर अधि. श्री नारायणसिंह तौमर अधि.

All Hard Related Bull of Bell States of Bell States